

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  
अधिसूचना  
सं. 14/2022- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 5 जुलाई, 2022

सा.का.नि. ....(अ). - केंद्रीय सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवाकर (संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 21क में, उपनियम (4) के परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

“परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन के लिए उपनियम (2क) के अधीन निलंबित किया गया है और रजिस्ट्रीकरण, नियम 22 के अधीन समुचित अधिकारी द्वारा पहले से ही रद्द नहीं किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण का निलंबन सभी लंबित विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने पर वापस लिया गया समझा जाएगा;”;

**3. उक्त नियम में, नियम 43 के स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-**

“(घ) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1284 (अ) तारीख 13 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 35/2017 केंद्रीय कर (दर) में विनिर्दिष्ट शुल्क प्रत्यय पावती पत्र के प्रदाय का मूल्य; ”;

4. उक्त नियम में, नियम 46 में, खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

‘(ध) नीचे दी गई एक घोषणा कि, उन सभी मामलों में, जहां ऐसे करदाता, जिसका 2017-18 से आगे किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, नियम 48 के उप नियम (4) के अधीन यथा अधिसूचित समग्र आवर्त से अधिक समग्र आवर्त है, के द्वारा नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन इस प्रकार विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न रीति में बीजक जारी किया गया है, वहां नियम 48 के उक्त उप नियम (4) के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में बीजक जारी किया जाना आवश्यक नहीं है ।

“मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं, कि यद्यपि 2017-18 से किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में हमारा कुल कारोबार नियम 48 के उप-नियम (4) के तहत अधिसूचित कुल कारोबार से अधिक है, फिर भी हमें उक्त उपनियम के प्रावधानों के अनुसार बीजक तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।”;

5. उक्त नियम में, नियम 86 में, उपनियम (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(4ख) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको,

(क) अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के अधीन; या

(ख) नियम 96 के उपनियम (3) के अधीन, नियम 96 के उपनियम (10) के उल्लंघन में, गलती से मंजूर की गई प्रतिदाय की रकम को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 के माध्यम से स्वप्रेरणा से या बताए जाने पर ब्याज और शास्ति सहित, जहां कहीं लागू हो, इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से विकलित करके जमा करता है, वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जमा की गई, गलती से मंजूर प्रतिदाय की रकम के समतुल्य रकम, समुचित अधिकारी द्वारा प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03ए में किए गए आदेश द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में पुनः जमा कर दी जाएगी;”

6. उक्त नियम में, नियम 87 में,

(क) उप नियम (3) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

“(क) किसी बैंक से एकीकृत संदाय अंतरापृष्ठ (यूपीआई);

(ख) किसी बैंक से तत्काल संदाय सेवा (आई एमपीएस);”;

(ख) उप नियम (5) में, “वास्तविक समय निपटान” शब्दों के पश्चात् “या तत्काल संदाय सेवा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपनियम (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(14) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर, अधिनियम के अधीन इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में, उपलब्ध कर की किसी रकम, ब्याज, शास्ति, फीस या किसी अन्य रकम को प्ररूप जीएसटी पीएमटी-09 में, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5), जैसी स्थिति हो, में यथाविनिर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति के केंद्रीय कर या एकीकृत कर के लिए इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा

परंतु ऐसा कोई अंतरण तब अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने इलैक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में कोई असंदत दायित्व रखता है;”

7. उक्त नियम में, नियम 88क के पश्चात्, 1 जुलाई, 2017 से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

**“88ख. कर के विलंबित संदाय पर ब्याज संगणित करने की रीति.** - (1) यदि, जहां एक कर अवधि के दौरान किए गए प्रदाय, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त अवधि के लिए विवरणी में घोषित किए जाते हैं, और उक्त विवरणी धारा 39 के उपबंधों के अनुसार देय तारीख के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, सिवाय वहां के जहां ऐसी विवरणी उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किसी कार्यवाही के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत की जाती है, वहां ऐसे प्रदायों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, उक्त विवरणी फाइल करने में देय तारीख के पश्चात् विलंब की अवधि के लिए, कर के ऐसे भाग पर की जाएगी जिसका संदाय इलैक्ट्रॉनिक नकद खाते से विकलित करके किया जाता है ।

(2) अन्य सभी मामलों में, जहां धारा 50 की उपधारा (1) के अनुसार ब्याज संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए जिसको ऐसा कर संदाय किए जाने के लिए देय

था से ऐसे कर का संदाय किए जाने की तारीख तक, कर की उस रकम पर, जो असंदत रहती है, की जाएगी ।

(3) उस दशा में, जहां गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर ब्याज, धारा 50 की उपधारा (3) के अनुसार संदेय है, वहां ब्याज की संगणना, ऐसे गलती से लिए गए और उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम पर इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख से आरंभ होकर ऐसे प्रत्यय के उत्क्रमण या कर के संदाय की तारीख तक की अवधि के लिए, धारा 50 की उक्त उपधारा (3) के अधीन यथाअधिसूचित दर पर, की जाएगी ।

*स्पष्टीकरण.* – इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, –

(1) गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के बारे में यह समझा जाएगा कि उसका उपयोग उस समय कर लिया गया है जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है और इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे उपयोग का परिमाण वह रकम होगी जितना इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम आता है ।

(2) ऐसे इनपुट कर प्रत्यय के उपयोग की तारीख :-

(क) वह तारीख मानी जाएगी जिसको धारा 39 के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए विवरणी देय है या उक्त विवरणी के फाइल किए जाने की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, यदि इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष उक्त विवरणी के माध्यम से कर के संदाय के कारण, गलती से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है; या

(ख) सभी अन्य मामलों में, इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में विकलन की वह तारीख मानी जाएगी जब इलैक्ट्रानिक प्रत्यय खाते में अतिशेष गलती से लाभ उठाए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से कम होता है;”;

8. उक्त नियम में, नियम 89 में, -

(क) उपनियम (1) में, चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'स्पष्टीकरण. - इन उपनियम के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट अधिकारी" से विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 2 के अधीन यथापरिभाषित कोई "विनिर्दिष्ट अधिकारी" या कोई "प्राधिकृत अधिकारी" अभिप्रेत है ।';

(ख) उपनियम (2) में, -

(i) खंड (ख) में, "माल के निर्यात" शब्दों के पश्चात् ", विद्युत से भिन्न," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(खक) उस दशा में, जहां प्रतिदाय विद्युत के निर्यात के कारण होता है, वहां, निर्यात बीजकों की संख्या और तारीख अंतर्विष्ट करने वाला विवरण, निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे, करार के अनुसार विद्युत के निर्यात के लिए प्रतियूनिट टैरिफ के साथ केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम, 2010 के विनियम 2 के उपविनियम 1 के खंड (ढढढ) के अधीन क्षेत्रीय उर्जा लेखा (आरईए) के भाग के रूप में क्षेत्रीय विद्युत समिति सचिवालय द्वारा जारी उत्पादन संयंत्रों द्वारा निर्यातित विद्युत के लिए अनुसूचित ऊर्जा के विवरण की प्रति तथा निर्यातित ऊर्जा के ब्यौरे प्रति यूनिट टैरिफ का उल्लेख करने वाले करार की प्रति";

(ग) उपनियम (4) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण. - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल का मूल्य निम्नलिखित के रूप में माना जाएगा -

(i) पोत परिवहन पत्र और निर्यात पत्र (प्ररुप) विनियम 2017 के अनुसार, यथास्थिति, पोत परिवहन पत्र या निर्यात पत्र प्ररुप में घोषित फ्री ऑन बोर्ड मूल्य; या

(ii) कर बीजक या प्रदाय पत्र में घोषित मूल्य,

इनमें से जो भी कम हो.;"

(घ) उप नियम (5) में, "ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर" शब्दों के स्थान पर "{ऐसे व्युत्क्रमित दर के माल और सेवाओं के प्रदाय पर संदेय कर X (शुद्ध आईटीसी ÷ इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर लिए गए आईटीसी)}." कोष्ठक, शब्द व अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

9. उक्त नियम में, नियम 95क का 1 जुलाई, 2019 से लोप किया गया समझा जाएगा;

10. उक्त नियम में, 1 जुलाई, 2017 से, नियम 96 में,-

(क) उप नियम (1) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(ख) आवेदक ने प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत की है:

परंतु यदि पोत परिवहन पत्र माल के निर्यातकर्ता द्वारा प्रस्तुत आंकड़े और प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक प्रदायों के विवरण में प्रस्तुत आंकड़ों के बीच कोई अंतर है, तब, भारत से बाहर निर्यात किए गए माल पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए ऐसे आवेदन को उस तारीख को फाइल किया हुआ समझा जाएगा जब उक्त पोत परिवहन पत्र की बाबत ऐसा अंतर निर्यातकर्ता द्वारा ठीक कर दिया जाता है;”;

(ख) उपनियम (4) में,

(i) खंड (ख) में, “1962” अंकों के स्थान पर, “1962 या” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये गए समझे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) बोर्ड में आयुक्त या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की, डाटा विश्लेषण और जोखिम पैरामीटरों के आधार पर, यह राय है कि निर्यातकर्ता के प्रत्यय पत्र का सत्यापन, जिसमें निर्यातकर्ता द्वारा आईटीसी का लिया जाना भी है, राजस्व के हित को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदाय की मंजूरी से पूर्व आवश्यक समझा जाता है.”;

(ग) उप नियम (5) का लोप किया गया समझा जाएगा ।

(घ) उप नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :-

“(5क) जहां प्रतिदाय उपनियम (4) के खंड (क) या खंड (ग) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है, वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जाएगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी , उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप

ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे पारेषण की तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा ।

(5ख) जहां प्रतिदाय उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार रोका गया है और सीमाशुल्क का समुचित अधिकारी ऐसा कोई आदेश पारित करता है कि माल, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए निर्यात किया गया है वहां ऐसा दावा प्रणाली सृजित प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से, यथास्थिति, केंद्रीय कर, राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर के समुचित अधिकारी को पारेषित किया जाएगा और ऐसे पारेषण की सूचना सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से निर्यातकर्ता को भी भेजी जाएगी और किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी , उक्त प्रणाली सृजित प्ररूप ऐसे मामलों में प्रतिदाय के लिए आवेदन समझा जाएगा और ऐसे पारेषण की तारीख को फाइल किया गया समझा जाएगा ।

(5ग) उपनियम (5क) और उपनियम (5ख) के अनुसार सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से पारेषित प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 में प्रतिदाय के लिए आवेदन पर नियम 89 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी;”;

(ड.) उपनियम (6) और उपनियम(7) का लोप किया गया समझा जाएगा;

11. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटीआर-3ख में,

- (क) पैरा 3.1 के शीर्ष में “विपर्यय प्रभारों के प्रति दायी” शब्दों के पश्चात् “, उनसे भिन्न जो 3.1.1 के अंतर्गत आते हैं,” कोष्ठक, शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे;
- (ख) पैरा 3.1 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

**“3.1.1 केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9 की उपधारा (5) और एकीकृत माल और सेवाकर/संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर /राज्य माल और सेवाकर अधिनियमों में तत्स्थानी उपबंधों के अधीन अधिसूचित प्रदायों के ब्यौरे।**

प्रदायों की प्रकृति	कुल कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6

(i) ऐसे कराधेय प्रदाय जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक कर का संदाय करता है (इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा प्रस्तुत किया जाए)					
(ii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किए गए कराधेय प्रदाय जिन पर धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक को कर का संदाय करने की आवश्यकता है (इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक के माध्यम से प्रदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए)।”;					

(ग) पैरा 3.2 में, शीर्षक में, "3.1(क)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के पश्चात, निम्नलिखित शब्द, अंक और अक्षर "और 3.1.1(i)"को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(घ) पैरा 4 के अधीन सारणी में, स्तंभ (1) में, -

(i) मद (आ) में, उप-मद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

" सीजीएसटी नियम के नियम 38, 42 और 43 और धारा 17 की उप-धारा (5) के अनुसार";

(ii) मद (ई) में, -



(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्: -

**"अन्य विवरण";**

(ख) उप-मद (1) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

" पुनः प्राप्त किया गया आईटीसी जिसे पहले की कर अवधि में सारणी 4(आ)(2) के अधीन वापस कर दिया गया था";

(ग) उप-मद (2) के सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"धारा 16(4) के अधीन अपात्र आईटीसी और पीओएस उपबंधों के कारण प्रतिबंधित आईटीसी";

(ड) अनुदेश शीर्षक के अधीन, पैरा 3 के पश्चात, निम्नलिखित पैरा को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(4) एक इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ), जिस आपूर्ति पर ईसीओ को केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन कर का भुगतान करने की आवश्यकता है को ऊपर 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और ऊपर 3.1.1(i) में ऐसी आपूर्ति को रिपोर्ट करेगा।

(5) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक (ईसीओ) के माध्यम से आपूर्ति करने वाला एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिन आपूर्तियों पर केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उप-धारा (5) के अधीन ईसीओ को कर का भुगतान करने की आवश्यकता है को उपरोक्त 3.1(क) में सम्मिलित नहीं करेगा और उपरोक्त 3.1.1(ii) में ऐसी आपूर्ति को रिपोर्ट करेगा।";

12. उक्त नियम में, **प्ररूप जीएसटीआर-9** में, शीर्षक अनुदेश के अधीन, -

(क) पैरा 4 में, -

(अ) "या वित्तीय वर्ष 2020-21" शब्द, अक्षर और अंक के पश्चात, "या वित्तीय वर्ष 2021-22" शब्द, अक्षर और अंक को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(आ) सारणी के, दूसरे स्तंभ में, -

(I) क्रम संख्यांक 5घ, 5ड और 5च के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को पृथक रूप से गैर-जीएसटी प्रदाय (5च) रिपोर्ट करनी होगी और उसके पास अपनी आपूर्ति को पृथक रूप से छूट-प्राप्त और शून्य रेटेड रिपोर्ट करने या केवल पंक्ति "छूट- प्राप्त " में इन दो छूट-प्राप्त और शून्य रेटेड शीर्षों के लिए समेकित जानकारी की आपूर्ति रिपोर्ट करने का विकल्प होगा ।';

(II) क्रम संख्यांक 5ज, 5झ, 5ञ और 5ट के सामने, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, क्रमशः "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को रखा जाएगा;

(ख) पैरा 5 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

(अ) क्रम संख्यांक 6ख, 6ग, 6घ और 6ङ के सामने, "वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020-21" अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22" अक्षर, आंकड़े और शब्द क्रमशः रखा जाएगा;

(आ) क्रम संख्यांक 7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ङ, 7च, 7छ और 7ज के सामने "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को रखा जाएगा;

(ग) पैरा 7 में, -

(अ)"अप्रैल, 2021 से सितंबर, 2021" शब्दों और अंकों के पश्चात, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, भाग 5 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संव्यवहारो जिनको अप्रैल, 2022 से सितंबर, 2022 के बीच प्ररूप **जीएसटीआर-3ख** में संदत्त किया गया है, की विशिष्टियों से मिल कर बना है।";

(आ) सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

(I) क्रम संख्या 10 और 11 के सामने, अंत में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी अर्थात्: -

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की विवरणी में पहले से घोषित किसी भी आपूर्ति में परिवर्धन या संशोधन के ब्यौरे, किंतु ऐसे संशोधन अप्रैल, 2022 सितंबर, 2022 के प्ररूप जीएसटीआर -1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में प्रस्तुत किए गए थे, यहां घोषित किया जाएगा।";

(II) क्रम संख्या 12 के सामने, -

(1) " सितंबर 2021 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।", शब्दों, अक्षरों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, आईटीसी के प्रत्यागम का कुल मूल्य जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लिया गया था, किन्तु अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में प्रत्यागमित कर दिया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग की जा सकेगी।";

(2) "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(III) क्रम संख्या 13 के सामने, -

(1) "वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल और सेवाओं के लिए आईटीसी के ब्यौरे, किन्तु जिनके लिए आईटीसी अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 के महीनों के लिए फाइल की गई विवरणी में लिया गया था, यहाँ घोषित किए जाएंगे। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्योरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, कोई आईटीसी जिसका प्रत्यागम धारा 16 की उप-धारा (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया था किन्तु जिसे

वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनः दावा किया गया, ऐसी पुनः दावा की गई आईटीसी के विवरण वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक विवरणी में प्रस्तुत किए जाएंगे।";  
(2) "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(घ) पैरा 8 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, -

(अ) क्रम संख्या

- (I) 15क, 15ख, 15ग और 15घ,
- (II) 15ड, 15च और 15छ,

के सामने, -

"2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अक्षर, अंक और शब्द को क्रमशः प्रतिस्थापित किया जाएगा।";

(आ) क्रम संख्या 16क, 16ख और 16ग के सामने "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, "2019-20, 2020-21 और 2021-22" अंक और शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।";

(इ) क्रम संख्यांक 17 और 18 के सामने, -

(I) " जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है।" शब्दों, अक्षरों और अंकों के पश्चात "वित्तीय वर्ष 2021-22 से, पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपए से अधिक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए छह अंकों के स्तर और पूर्ववर्ती वर्ष में 5.00 करोड़ रुपए तक वार्षिक आवर्त वाले करदाताओं के लिए सभी बी 2 बी आपूर्ति के लिए चार अंकों के स्तर पर एचएसएन कोड की रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा" शब्द, अक्षर और अंक अंतःस्थापित किये जायेंगे;

(II) अंत में निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः -

"वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के पास सारणी 18 न भरने का विकल्प होगा।";

13. उक्त नियम में, शीर्ष अनुदेश के अधीन प्ररूप जीएसटीआर -9ग में,-

(क) पैरा 4 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, जहां भी वे आते हैं, "2019-20, 2020-21 और 2021-22 " अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 6 में, सारणी में, दूसरे स्तंभ में, क्रम संख्या 14 के सामने, "2019-20 और 2020-21" अंक और शब्द के स्थान पर, "2019-20, 2020-21 और 2021- 22" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

14. उक्त नियम में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03 के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

<b>" प्ररूप जीएसटी पीएमटी-03क</b> [देखें नियम 86(4ख)] <b>इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाता में राशि का पुनः क्रेडिट करने का आदेश</b>	
संदर्भ संख्या:	तारीख:
1. जीएसटीएन-	
2. नाम (विधिक) -	
3. व्यापार का नाम, यदि कोई हो	
4. पता -	
5. खाता जिसके विकलन से प्रविष्टि दावा प्रतिदाय के लिए किया गया था - नकद/ प्रत्यय खाता	
6. विकलन प्रविष्टि सं. और तारीख -	
7. भुगतान संदर्भ संख्या (डीआरसी 03):..... तारीख.....	
8. भुगतान का विवरण:-	
भुगतान का कारण	(अप्रयुक्त आईटीसी के गलत प्रतिदाय या आईजीएसटी के गलत प्रतिदाय की राशि के लिए जमा)

प्रतिदाय मंजूरी आदेश का विवरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. शिपिंग बिल/ निर्यात बिल संख्या और तारीख</li> <li>2. माल के निर्यात पर भुगतान की गई आईजीएसटी की राशि</li> <li>3. छूट/रियायती दर अधिसूचना का विवरण आदानों की खरीद</li> <li>4. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि</li> <li>5. बैंक खाते में धनवापसी जमा करने की तारीख</li> </ol>						
	(या) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रतिदाय की श्रेणी और प्रतिदाय की सुसंगत अवधि</li> <li>2. जीएसटी आरएफडी-01/01ए एआरएन और तारीख -</li> <li>3. जीएसटी आरएफडी -06 आदेश संख्या और तारीख</li> <li>4. दावा की गई प्रतिदाय की राशि</li> <li>5. स्वीकृत प्रतिदाय की राशि</li> </ol>						
10. पुनः क्रेडिट करने के आदेश की संख्या और तारीख, यदि कोई -							
11. क्रेडिट राशि -							
क्र.सं.	अधिनियम (केंद्रीय कर/राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर/एकीकृत कर/कम)	क्रेडिट की राशि (रु.)					
		कर	ब्याज	दंड	शुल्क	अन्य	कुल
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<p style="text-align: right;">हस्ताक्षर नाम अधिकारी का पदनाम</p> <p>टिप्पण: 'केंद्रीय कर' का अर्थ केंद्रीय माल और सेवा कर है; 'राज्य कर' का अर्थ राज्य माल और सेवा कर है; 'संघराज्यक्षेत्र कर' का अर्थ संघराज्यक्षेत्र माल और सेवा कर है; 'एकीकृत कर' का अर्थ है एकीकृत माल और सेवा कर और 'उपकर ' का अर्थ है माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)";</p>							

15. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी पीएमटी-06 में,-

(क) संदाय का ढंग (सुसंगत भाग सक्रिय होगा जब विशिष्ट रूप में चयन किया जाए) शीर्षक के अधीन,

ई-संदाय (यह ई-संदाय के सभी ढंग सम्मिलित होगा जैसे सीसी/डीसी और नेट बैंकिंग । करदाता इसमें एक का चयन करें ।)

से प्रारंभ होने वाले और "टिप्पण: संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा संदत्त प्रभारों के लिए पृथक रूप से हो ।," से अंत होने वाले भाग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

<p>“<input type="checkbox"/> ई-संदाय (इसमें ई-संदाय के सभी ढंग सम्मिलित होंगे जैसे सीसी/डीसी, नेट बैंकिंग और यूपीआई । करदाता इसमें एक का चयन करें ।)</p>	<p><input type="checkbox"/> अतिरेक पटल (ओटीसी)</p>			<p><input type="checkbox"/> आईएमपीएस</p>
	<p>बैंक (जहां नकद या लिखत निक्षेप किये जानेके लिए प्रस्तावित हैं )</p>			
	<p>लिखत के ब्यौरे</p>			
	<p><input type="checkbox"/> नगद</p>	<p><input type="checkbox"/> चैक</p>	<p><input type="checkbox"/> मांग ड्राफ्ट</p>	
<p><input type="checkbox"/> एनईएफटी/आरटीजीएस</p>				
<p>प्रेषण बैंक</p>				
<p>लाभार्थी का नाम</p>				
<p>लाभार्थी लेखा संख्या (सीपीआईएन)</p>				
<p>लाभार्थी के बैंक का नाम</p>				
<p>लाभार्थी के बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)</p>				
<p>रकम</p>				

टिप्पण: बैंक प्रभार, यदि कोई हो, संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से संदत्त किए जाएंगे ।

<p><input type="checkbox"/>आईएमपीएस</p>	
<p>प्रेषण बैंक</p>	

लाभार्थी का नाम	जीएसटी
लाभार्थी लेखा संख्या (सीपीआईएन)	< सीपीआईएन>
लाभार्थी के बैंक का नाम	< चयनित प्राधिकृत बैंक>
लाभार्थी के बैंक का भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	< चयनित प्राधिकृत बैंक का आईएफएससी>
रकम	

टिप्पण: बैंक प्रभार, यदि कोई हो, संदाय करते समय व्यक्ति द्वारा बैंक को पृथक रूप से संदत्त किए जाएंगे।”;

(ख) संदत्त चालान सूचना शीर्षक के अधीन सारणी में "संदर्भ बैंक सं. (बीआरएन)/यूटीआर" शब्दों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "संदर्भ बैंक सं.(बीआरएन)/यूटीआर/आरआरएन" शब्द, अक्षर और कोष्ठक प्रतिस्थापित किया जाएगा;

16. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीपीएमटी-07 में, सारणी में,

(क) क्रम संख्यांक 6 के सामने तीसरे स्तंभ में

“एनईएफटी/आरटीजीएस □”
-------------------------

के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित  
जाएगा, अर्थात्:-

किया

“एनईएफटी/आरटीजीएस □	आईएमपीएस □”
------------------------	----------------

(ख) क्रम संख्यांक 10 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"10क	पुनः प्राप्य संदर्भ संख्यांक (आर आर एन)- आई एम पीएस ।"	
------	--	--

17. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीपीएमटी-09 में, -





	का प्रकार		ख	ति त ऊ र्जा (इ का इयां )	केंद्र		सं.	ख	ऊर्जा अनुसू ची (इका यां)	के अनुसार)	10 में से निम्नतर )	(11X12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												”;

19. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआरएफडी-10 ख, 1 जुलाई, 2019 के दिन से लोप किया गया समझा जाएगा ।

[फा.सं. सीबीआईसी-20001/2/2022-जीएसटी]

राजीव रंजन  
अवर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) अधिसूचना सं. 3/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 में प्रकाशित संख्यांक सा.का.नि. 610 (अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 40/2021-केन्द्रीय कर, तारीख 29 दिसंबर, 2021, संख्यांक सा.का.नि.902 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।